

8.14 पुरस्कार की राशि पर आयकर से छूट

हिन्दी शिक्षण योजना की प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं पास करने पर पुरस्कार प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं। ये पुरस्कार यदा कदा ही दिए जाते हैं और कर्मचारी की नियमित आय के स्रोत नहीं हैं। अतः आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (3) के अधीन इन पुरस्कारों से प्राप्त राशि पर कर लगने से छूट होगी और कर्मचारी की कुल कर योग्य आय में यह राशि शामिल नहीं की जाएगी।

(का.ज्ञा.सं. 24/18/87-आई.टी./ए.आई. दिनांक 31-3-87)